

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

Old No. 17/2
 New 67/23

जुलिय व तारीख अहकाम
 जो इस हुकम की तामील
 में जारी हुए

14 ³/₂₃

पत्रावली न्यायालय SDO बलवा द्वारा
 पत्र क्रमांक राजस्व/2023/1895 दिनांक
 13-3-2023 के द्वारा प्रकरण का रजिस्ट्रार
 न्यायालय हाजा को लेने के कारण
 स्थानांतरित की गई है। प्रकरण की - न्यायालय
 हाजा के जामिलेखो में इन्फाइज किया गया।
 पत्रावली कागजी तारीख 27-3-23 को
 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 बलवा (दौसा)



27/3/23

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
 स्थगन/P.O. सां राज्य कार्य में व्यस्त
 होने से जनरल तारीख पेश हो गई गत
 आदेश की पालना में दिनांक... 10/4/23
 को पेश हो।

हस्ताक्षर सीकर

10/4/23

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
 स्थगन/P.O. सां राज्य कार्य में व्यस्त
 होने से जनरल तारीख पेश हो गई गत
 आदेश की पालना में दिनांक... 19/4/23
 को पेश हो।

हस्ताक्षर सीकर

19/4/23

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
 स्थगन/P.O. सां राज्य कार्य में व्यस्त
 होने से जनरल तारीख पेश हो गई गत
 आदेश की पालना में दिनांक... 29/5/23
 को पेश हो।

हस्ताक्षर सीकर

29/5/23

पत्रावली पेश हो। तदनुसार बलवा
 के पत्र 993 दिनांक 3-3-23 के अंतर्गत
 (संशोधित) अर्ज पारित करके, पत्रावली
 केसल शुभल करके दालिल दफ्तरे
 की जा रही है। इसके अन्तर्गत से कार्य को
 जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
 बलवा (दौसा)



न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा

जिला-दौसा

प्रकरण संख्या :- 67/2023 (171/2017)

प्रकरण रज्जु दिनांक :- 30.8.2017

निर्णय दिनांक :- 29.5.2023

प्रकरण :- स्थायी निषेधाज्ञा, उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उनवान

पांचूराम वगैरह बनाम खैराती लाल वगैरह



-: संशोधित निर्णय :-

दिनांक :- 29.5.2022

उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पूर्ववत् न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा निम्न प्रकार निर्णय दिनांक 22.9.2021 को निर्णित किया गया था :-

" उनवानी प्रकरण में दिनांक 16.8.2018 को प्राथमिक डिकी जारी की गई थी, तत्पश्चात दिनांक 23.9.2019 पत्रांक 3828 के तहसीलदार बसवा द्वारा निर्णय डिकी दिनांक 16.8.2018 की पालना हेतु जारी तहरीर क्रमांक 1717 दिनांक 12.10.2018 के मौके पर विभाजन कर कुरेजात भिजवावें ।

उभय पक्ष अभिभाषक ने कुरेजात पर बहस सुनवाई तथा कुरेजात अनुसार अंतिम डिकी करने का अनुरोध किया ।

हमने कुरेजात का व पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया कुरेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः आदेश है कि ग्राम पंडितपुरा तह.बसवा जिला दौसा के खाता संख्या 416-368 में निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है :-

1. आराजी खसरा नंबर 1146/1 रकबा 0.15 हैक्टर हैक्टर, 1147 रकबा 0.08 हैक्टर, 1148 रकबा 0.38 हैक्टर, 1149 रकबा 0.23 हैक्टर, 1150 रकबा 0.20 हैक्टर, 1151 रकबा 0.22 हैक्टर, 1152 रकबा 0.24 हैक्टर, 1155/1 रकबा 0.31 हैक्टर, 1156 रकबा 0.29 हैक्टर, 1157 रकबा 0.29 हैक्टर, 1158 रकबा 0.35 हैक्टर, 1160 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता 12 रकबा 3.00 हैक्टर, बाबूलाल पुत्र मोहरपाल हि. 1/15, दुलीचंद पुत्र मोहरपाल हि. 1/15, चतरो पत्नी भोलाराम हि. 1/60, रवि पुत्र भोलाराम हि. 1/60, सुशीला पुत्री भोलाराम हि. 1/60, पुनी पुत्री भोलाराम हि. 1/60, नारायणसिंह पुत्र देवकरण हि. 1/10, विजयसिंह पुत्र देवकरण हि. 1/10, पूरण पुत्र रामदेवा हि. 1/10, मोहनलाल पुत्र रामदेवा हि. 1/10, लक्ष्मण पुत्र प्रेमा हि. 1/20, मोतीलाल पुत्र प्रेमा हि. 1/20 टीना पुत्री रामजीलाल हि. 1/40, चुटकी पुत्री रामजीलाल हि.1/40, पांचूराम पुत्र गंगाधर हि. 1/5 जाति बैरवा सा.देह खातेदार रहेंगे ।
2. आराजी खसरा नंबर 1140 रकबा 0.10 हैक्टर, 1141 रकबा 0.06 हैक्टर, 1139 रकबा 0.12 हैक्टर, 1138 रकबा 0.12 हैक्टर, 1137 रकबा 0.10 हैक्टर, 1136 रकबा 0.30 हैक्टर, 1145 रकबा 0.33 हैक्टर, 1155/2 रकबा 0.05 हैक्टर, 1146/2 रकबा 0.11 हैक्टर, 1153 रकबा 0.18 हैक्टर, 1159 रकबा 0.27 हैक्टर, 1161 रकबा 0.31 हैक्टर, 1162/2 रकबा 0.20 हैक्टर किता 13 रकबा 2.25 हैक्टर, देवीसहाय, बसन्तीलाल पुत्र कजोडमल हि. 2/20, कमला पत्नी सुरजन, प्रकाश, रमेश, दीपचंद, गोविंदसहाय पुत्र सुरजन, भगोती पुत्री सुरजन,

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

हिस्सा 1/20, गेंदी पत्नी झूथा, किशनलाल, मंगलराम, कालूराम पुत्र झूथा हिस्सा 3/20, रामनारायण, राकेश पुत्र रणजीता हिस्सा 6/80, राजन्ती देवी पत्नी बाबूलाल, गोविन्द कुमार पुत्र बाबूलाल, शारदा, सुमन, रीनू, नीतू पुत्रीया बाबूलाल हिस्सा 3/80, इन्दरा देवी पत्नी रामस्वरूप, मुस्कान, तनिशा, रेशमा, साहिन पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 3/80, लालाराम, रमेश, उम्मेद, छोटेलाल, महेश कुमार पुत्र किशोरी हिस्सा 3/20, लाडबाई पत्नी खैराती, कंहैयालाल, रामोतार, पूर्णमल, गोपाललाल पुत्रान खैराती, सीला पुत्री खैराती हिस्सा 3/20, जाति बैरवा सा.देह खातेदान रहेंगे ।

3. आराजी खसरा नंबर 1144 रकबा 0.32 हैक्टर, 1163 रकबा 0.32 हैक्टर, 1162/1 रकबा 0.11 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 0.75 हैक्टर हरिराम, बनवारी, रामधन, रामजीलाल पुत्रान सुन्दर, रामबाई पुत्री सुन्दर हिस्सा 5/6, जगदीश, योगेश पुत्रान खेमचंद, कमला पत्नी खेमचंद, ममता, मीना, पूजा, गुड्डी पुत्रीया खेमचंद हिस्सा 1/6 जाति बैरवा सा.देह खातेदार रहेंगे ।

4. आराजी खसरा नंबर 1146/3 रकबा 0.09 हैक्टर, 1114 रकबा 0.06 हैक्टर गै.मु. चाह, किता 2 रकबा 0.15 हैक्टर बाबूलाल पुत्र मोहरपाल, दुलीचंद पुत्र मोहरपाल हिस्सा 2/15, चतरो पत्नी भोलाराम, रवि पुत्र भोलाराम, सुशीला, पूनी पुत्रीया भोलाराम हिस्सा 1/15, नारायणसिंह, विजयसिंह पुत्र देवकरण हिस्सा 1/5, पूरण, मोहनलाल पुत्र रामदेवा, हिस्सा 1/5, मोतीलाल, लक्ष्मण, संतू पुत्र प्रेमा हिस्सा 3/20, चुटकी, टीना पुत्रीया रामजीलाल हिस्सा 1/20, पांचूराम पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/5, देवीसहाय, बसंतीलाल पुत्रान कजोडमल हिस्सा 6/7, कमला पत्नी सुरजन, प्रकाशचंद, रमेशचंद, दीपचंद, गोविन्दसहाय पुत्रान सूरजन, भगोती पुत्री सुरजन हिस्सा 3/7, गेंदी देवी पत्नी झूथा, किशनलाल, मंगलराम, कालूराम पुत्र झूथा हिस्सा 3/20, रामनारायण, राकेश, पुत्र रणजीता हिस्सा 6/80, राजन्ती देवी पत्नी बाबूलाल, गोविन्द कुमार पुत्र बाबूलाल, शारदा, सुमन, रीनू, नीतू पुत्रीया बाबूलाल हिस्सा 3/80, इंद्रा देवी पत्नी रामस्वरूप, मुस्कान, तनिशा, रेशमा, साहिल पुत्रीया रामस्वरूप हिस्सा 3/80, लालाराम, उम्मेदलाल, छोटेलाल, महेश कुमार, रमेश पुत्रान किशोरीलाल हिस्सा 3/20, लाडबाई पत्नी खैराती, कंहैयालाल, रामोतार, पूरणमल पुत्रान खैराती, गोपाललाल पुत्र खैराती, सीला पुत्री खैराती हिस्सा 3/20, हरिराम, बनवारी, रामधन, रामजीलाल पुत्रान सुन्दर, रामबाई पुत्री सुन्दर हिस्सा 5/6, जगदीश, योगेश पुत्र खेमचंद, कमला पत्नी खेमचंद, ममता, मीना, पूजा, गुड्डी पुत्रीया खेमचंद हिस्सा 1/6 जाति बैरवा सा.देह खातेदार रहेंगे ।
उक्तानुसार डिकी पर्चा जारी हो, कुरेजात निर्णय डिकी का पार्ट रहेगा ।
निर्णय सुनाया ।"

उक्त निर्णय की अनुपालना हेतु जारी की गई डिकी के संबंध में तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2023/997 दिनांक 3.3.2023 के द्वारा डिकी की पालना करने में कुछ हिस्साकस्सी के आधार पर जरिये पटवारी हलका पण्डितपुरा एवं गिरदावर बसवा द्वारा त्रुटीपूर्ण बताते हुए, निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि " न्यायालय हाजा की निर्णय डिकी की कम संख्या 2 व 4 में दिये गये खातेदारों के हिस्सों का मिलान नहीं हो रहा था, जिनको दुबारा से जांच कर, निम्नलिखित अनुसार सही हिस्सा दर्ज कर, कम संख्या 2 पर खातेदार देवीसहाय, बसंतीलाल पुत्र कजोड हिस्सा 2/15, कमला पत्नी सुरजन, प्रकाश, रमेशचंद, दीपचंद, गोविन्दसहाय पुत्रान सुरजन, भगोती पुत्री सुरजन हिस्सा 1/15, गेंदी पत्नी झूथा, किशनलाल, मंगलराम, कालूराम पुत्र झूथा हिस्सा 1/5, रामनारायण,

उपखण्ड अधिकारी
उत्तर (सिद्ध)

राकेश पुत्र रणजीता हिस्सा 1/10, राजंती पत्नी बाबूलाल, गोविन्द कुमार पुत्र बाबूलाल, सारदा, सुमन, रीनू, नीतू, पुत्रिया बाबूलाल हिस्सा 1/20, इंदरा देवी पत्नी रामस्वरूप, मुस्कान, तनीशा, रेशमा, साहिन पुत्रिया रामस्वरूप हिस्सा 1/20, लालाराम, उम्मेद, छोटेलाल, महेशकुमार पुत्रान किशोरीलाल हिस्सा 1/5, लाडवाई पत्नी खैराती, कंहेयालाल, रामोतार, पूरणमल, गोपाललाल पुत्रान खैराती, सीला पुत्री खैराती हिस्सा 1/5 जाति बैरवा सा.देह खातेदार ।

कम संख्या 4 पर खातेदार बाबूलाल, दुलीचंद पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/15, चतरो पत्नी भोलाराम, रवि पुत्र भोलाराम, सुशीला, पुनी पुत्रीया भोलाराम हिस्सा 1/30, नारायणसिंह, विजयसिंह पुत्र देवकरण हिस्सा 1/10, पूरण, मोहनलाल पुत्र रामदेवा, हिस्सा 1/10, मोतीलाल, लक्ष्मण, संतु पुत्रान प्रेमा, हिस्सा 3/40, चुटकी, टीना पुत्रिया रामजीलाल हिस्सा 1/40, पांचूराम पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/10, देवीसहाय, बसंतीलाल पुत्रान कजोडमल हिस्सा 1/18, कमला पत्नी सुरजन, प्रकाशचंद, रमेशचंद, दीपचंद, गोविन्दसहाय पुत्रान सुरजन, भगोती पुत्री सुरजन हिस्सा 1/36, गैदी देवी पत्नी झूंथा, किशनलाल, मंगलराम, कालूराम पुत्रान झूंथा हिस्सा 1/12, रामनारायण, राकेश पुत्रान रणजीता हिस्सा 1/24, राजंती देवी पत्नी बाबूलाल, गोविन्दकुमार पुत्र बाबूलाल, सारदा, सुमन, रीनू, नीतू पुत्रिया बाबूलाल हिस्सा 1/48, इंदरा देवी पत्नी रामस्वरूप, मुस्कान, तनीशा, रेशमा, साहिन पुत्रिया रामस्वरूप हिस्सा 1/48, लालाराम, उम्मेदलाल, छोटेलाल, महेश कुमार पुत्रान किशोरीलाल हिस्सा 1/12, लाडवाई पत्नी खैराती, कंहेयालाल, रामोतार, पूरणमल, गोपाललाल पुत्रान खैराती, सीला पुत्री खैराती हिस्सा 1/12, हरिराम, बनवारी, रामधन, रामजीलाल पुत्रान सुन्दर, रामबाई पुत्री सुन्दर हिस्सा 5/72, जगदीश, योगेश पुत्र खेमचंद, कमला पत्नी खेमचंद, ममता, मीना, पूजा, गुड्डी पुत्रिया खेमचंद हिस्सा 1/72 जाति बैरवा सा.देह खातेदार करना उचित होगा ।

उपरोक्त वांछित संशोधन प्रकरण संख्या 171/2017 निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 22.9.2021 उनवान पांचूराम बनाम खैरातीलाल (फौत) गोपाल वगैरह में माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई के द्वारा निर्णित डिक्री के बिन्दु संख्या 2 व 4 में दर्ज खातेदार के संदर्भ में वांछित संशोधन रिपोर्ट है । रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।”

अतः उक्तानुसार तहसीलदार बसवा द्वारा जिस कदर अंतिम डिक्री में संशोधन करने का निवेदन किया है उसे स्वीकार किया जाकर, पूर्व प्रदत्त निर्णय को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1. आराजी खसरा नंबर 1146/1 रकबा 0.15 हैक्टर हैक्टर, 1147 रकबा 0.08 हैक्टर, 1148 रकबा 0.38 हैक्टर, 1149 रकबा 0.23 हैक्टर, 1150 रकबा 0.20 हैक्टर, 1151 रकबा 0.22 हैक्टर, 1152 रकबा 0.24 हैक्टर, 1155/1 रकबा 0.31 हैक्टर, 1156 रकबा 0.29 हैक्टर, 1157 रकबा 0.29 हैक्टर, 1158 रकबा 0.35 हैक्टर, 1160 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता 12 रकबा 3.00 हैक्टर, बाबूलाल पुत्र मोहरपाल हि. 1/15, दुलीचंद पुत्र मोहरपाल हि. 1/15, चतरो पत्नी भोलाराम हि. 1/60, रवि पुत्र भोलाराम हि. 1/60, सुशीला पुत्री भोलाराम हि. 1/60, पुनी पुत्री भोलाराम हि. 1/60, नारायणसिंह पुत्र देवकरण हि. 1/10, विजयसिंह पुत्र देवकरण हि. 1/10, पूरण पुत्र रामदेवा हि. 1/10, मोहनलाल पुत्र रामदेवा हि. 1/10, लक्ष्मण पुत्र प्रेमा हि. 1/20,

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दोसा)

गोतीलाल पुत्र प्रेमा हि. 1/20 टीना पुत्री रामजीलाल हि. 1/40, संतु पुत्र प्रेमा हिस्सा 1/20, चुटकी पुत्री रामजीलाल हि. 1/40, पांचूराम पुत्र गंगाधर हि. 1/5 जाति बैरवा सा.देह खातेदार रहेंगे ।

2. आराजी खसरा नंबर 1140 रकबा 0.10 हैक्टर, 1141 रकबा 0.08 हैक्टर, 1139 रकबा 0.12 हैक्टर, 1138 रकबा 0.12 हैक्टर, 1137 रकबा 0.10 हैक्टर, 1136 रकबा 0.30 हैक्टर, 1145 रकबा 0.33 हैक्टर, 1155/2 रकबा 0.05 हैक्टर, 1146/2 रकबा 0.11 हैक्टर, 1153 रकबा 0.18 हैक्टर, 1159 रकबा 0.27 हैक्टर, 1161 रकबा 0.31 हैक्टर, 1162/2 रकबा 0.20 हैक्टर किता 13 रकबा 2.25 हैक्टर, के खातेदार देवीसहाय, बसंतीलाल पुत्र कजोड हिस्सा 2/15, कमला पत्नी सुरजन, प्रकाश, रमेशचंद, दीपचंद, गोविन्दसहाय पुत्रान सुरजन, भगोती पुत्री सुरजन हिस्सा 1/15, गेंदी पत्नी झूथा, किशनलाल, मंगलराम, कालूराम पुत्र झूथा हिस्सा 1/5, रामनारायण, राकेश पुत्र रणजीता हिस्सा 1/10, राजंती पत्नी बाबूलाल, गोविन्द कुमार पुत्र बाबूलाल, सारदा, सुमन, रीनू, नीतू, पुत्रिया बाबूलाल हिस्सा 1/20, इंदरा देवी पत्नी रामस्वरूप, मुस्कान, तनीशा, रेशमा, साहिन पुत्रिया रामस्वरूप हिस्सा 1/20, लालाराम, उम्मेद, छोटेलाल, महेशकुमार पुत्रान किशोरीलाल हिस्सा 1/5, लाडबाई पत्नी खैराती, कंहेयालाल, रामोतार, पूरणमल, गोपाललाल पुत्रान खैराती, सीला पुत्री खैराती हिस्सा 1/5 जाति बैरवा सा.देह खातेदार किया जाता है ।

3. आराजी खसरा नंबर 1144 रकबा 0.32 हैक्टर, 1163 रकबा 0.32 हैक्टर, 1162/1 रकबा 0.11 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 0.75 हैक्टर हरिराम, बनवारी, रामधन, रामजीलाल पुत्रान सुन्दर, रामबाई पुत्री सुन्दर हिस्सा 5/6, जगदीश, योगेश पुत्रान खेमचंद, कमला पत्नी खेमचंद, ममता, मीना, पूजा, गुड्डी पुत्रिया खेमचंद हिस्सा 1/6 जाति बैरवा सा.देह खातेदार रहेंगे ।

4. आराजी खसरा नंबर 1146/3 रकबा 0.09 हैक्टर, 1154 रकबा 0.06 हैक्टर गै.मु. चाह, किता 2 रकबा 0.15 हैक्टर के खातेदार बाबूलाल, दुलीचंद पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/15, चतरो पत्नी भोलाराम, रवि पुत्र भोलाराम, सुशीला, पुनी पुत्रीया भोलाराम हिस्सा 1/30, नारायणसिंह, विजयसिंह पुत्र देवकरण हिस्सा 1/10, पूरण, मोहनलाल पुत्र रामदेवा, हिस्सा 1/10, मोतीलाल, लक्ष्मण, संतु पुत्रान प्रेमा, हिस्सा 3/40, चुटकी, टीना पुत्रिया रामजीलाल हिस्सा 1/40, पांचूराम पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/10, देवीसहाय, बसंतीलाल पुत्रान कजोडमल हिस्सा 1/18, कमला पत्नी सुरजन, प्रकाशचंद, रमेशचंद, दीपचंद, गोविन्दसहाय पुत्रान सुरजन, भगोती पुत्री सुरजन हिस्सा 1/36, गेंदी देवी पत्नी झूथा, किशनलाल, मंगलराम, कालूराम पुत्रान झूथा हिस्सा 1/12, रामनारायण, राकेश पुत्रान रणजीता हिस्सा 1/24, राजंती देवी पत्नी बाबूलाल, गोविन्दकुमार पुत्र बाबूलाल, सारदा, सुमन, रीनू, नीतू पुत्रिया बाबूलाल हिस्सा 1/48, इंदरा देवी पत्नी रामस्वरूप, मुस्कान, तनीशा, रेशमा, साहिन पुत्रिया रामस्वरूप हिस्सा 1/48, लालाराम, उम्मेदलाल, छोटेलाल, महेश कुमार पुत्रान किशोरीलाल हिस्सा 1/12, लाडबाई पत्नी खैराती, कंहेयालाल, रामोतार, पूरणमल, गोपाललाल पुत्रान खैराती, सीला पुत्री खैराती हिस्सा 1/12, हरिराम, बनवारी, रामधन, रामजीलाल पुत्रान सुन्दर, रामबाई पुत्री सुन्दर हिस्सा 5/72, जगदीश, योगेश पुत्र खेमचंद, कमला पत्नी खेमचंद, ममता, मीना, पूजा, गुड्डी पुत्रिया खेमचंद हिस्सा 1/72 जाति बैरवा सा.देह खातेदार किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हों ।



(डॉ. नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधीक्षिका, बसवा
उपखण्ड अधीक्षिका, बसवा